न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वादपत्र संख्या : **66/2021**
GCMS No. : **2021/116**

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

1. तुलसीदेवी पत्नी जोगाराम
कौम कुमावत निवासी– समौखी
2. गेरकी पत्नी हराराम
कौम– कुमावत निवासी– समौखी
3. ओगड़राम पुत्र खुमाराम
कौम कुमावत निवासी– कुशालपुरा
तहसील– रायपुर
4. भीयाराम पुत्र खुमाराम
कौम कुमावत, निवासी– कुशालपुरा
तहसील– रायपुर
5. पुष्पादेवी पत्नी राजेन्द्र कौम कुमावत
निवासी– निमाज
सभी आममुख्तियारधारक बगदाराम पुत्र
बचनाराम जाति– कुमावत निवासी निमाज
तहसील जैतारण जिला पाली (राज0)

राजस्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू – : 08.06.2021**

उपस्थितः– 1. सरकारी पैरोकार राज, उपस्थित।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 07/03/2022

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल **खसरा नम्बर 385/3 रकबा 06–18 बीघा किस्म चाही चारम एवं खसरा नम्बर 387/2 रकबा 0–08 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा खसरा 07–06 बीघा मौजा निमाज प्रथम** में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमिधारी(लैण्ड होल्डर) है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 व 05 [illegible] वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में [illegible] बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर आवासीय कॉलोनी [illegible] खर्द बुर्द कर रहें है। जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है। प्रतिवादीगण [illegible] राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करनें व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिये बिनाय मुखासमत दिनांक 10.04.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का निमाज प्रथम को वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से अवैध रूप से **अकृषि(आवासीय कॉलोनी काटकर)** कार्य करनें की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। इस वादपत्र को सुनने का हक अदालत को धारा 177, 92क, आर.टी.एक्ट 1955 के तहत है। अतः वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है:- (क) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करें। अन्य सिध्दि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी. एक्ट. के तहत दिलाई जावें।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से आममुख्तियारधारक बगदाराम पुत्र बचनाराम जाति- कुमावत निवासी निमाज तहसील जैतारण ने जवाब वादपत्र पेश कर कथन किया है कि वाद पद के पद संख्या एक का जवाब है कि प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 385/3 रकबा 06-18 बीघा व खसरा नम्बर 387/2 रकबा 0-08 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। वादपत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि उपरोक्त वर्णित आराजी को प्रतिवादीगण काश्त के रूप में उपयोग में ले रहे है मौके पनर कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया जा रहा है न ही मौके पर कोई आवासीय कॉलाने काटी हुई है। प्रतिवादीगण ने किसी तरह ने टीनेन्सी शर्तो को भंग नहीं किया है। प्रतिवादीगण ने अपनी आराजी को समतल कर साफ सुधार कर वृक्षारोपण किया है और इस तरह से अपनी आराजी पर वृक्षारोपण कर उसे उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया टीनेन्सी शर्तो का भंग नहीं है। इन तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तथ्य गलत बेबूनियाद एवं मनगढ़त होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि प्रतिवादीगण वादपत्र में वर्णित भूमि पर कोई हानिप्रद कार्य नहीं किया है बल्कि अपने पशुओं को रखने एवं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये वृक्षारोपण कर उसे समतल किया है ऐसा कार्य हानिप्रद कार्य नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को मौके से बेदखल नहीं किया जा सकता है। वादपत्र के पद संख्या 04 का जवाब है कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाय दावा पैदा नहीं होता है क्योकि प्रतिवादीगण जवाब देहन्दा ने अपनी आराजी के सम्बन्ध में कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

हल्का पटवारी निमाज एवं भू. अ. निरीक्षक वृत. निमाज द्वारा नवीनतम फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2021 को प्रस्तुत की गई जो सामिल मिसल की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही, भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार है:-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण जो वादग्रस्त आराजी मौजा निमाज प्रथम की खसरा नम्बर 385/3 रकबा 06-18 बीघा किस्म चाही चारम एवं खसरा नम्बर 387/2 रकबा 0-08 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 2 कुल रकबा 07-06 बीघा जो कि कृषि भूमि है, के अभिलिखित खातेदार है द्वारा वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक प्रक्रिया आवासीय कॉलोनी काटकर खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा टिनेन्सी शर्तो को भंग कर हानिप्रद कार्य कर रहें। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें तथा इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें, की वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें।

2. वादपत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज प्रथम की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 10.04.2021 के अनुसार खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी के चारो ओर चारदीवारी का निर्माण कर प्लॉटिंग आदि कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग आंरभ कर दिया है।

3. वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है।

4. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार प्रतिवादीगण जो कि वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त आराजी भू अभिलेख में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है तथा जवाब देहन्दा द्वारा कृषि कार्य के रूप में ही उपयोग में ली जा रही है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि को समतल कर साफ सुधार कर वृक्षारोपण किया है और इस तरह से अपनी आराजी पर वृक्षारोपण कर उसे उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया टीनेन्सी शर्तो का भंग नहीं है, जोकि किसी भी दृष्टि से अकृषि कार्य की श्रेणी में नही आता है, न ही मौके पर किसी प्रकार से कॉलोनी आदि का निर्माण किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:17 IST
Reason: SelfAttested

5. ***धारा 177 अहितकर कार्य या शर्त-भंग*** के लिए बेदखली –(1) भू धारक के आवेदन पर अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए अहितकर हो या जिस प्रायोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी, उससे अंतर्गत हो, या

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

(ख) इस आधार पर कि उसनें या उससे धारण करनें वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है। जिसके भंग करनें पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं, के अनुसार बेदखली का दायी हो:

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत केवल खातेदार द्वारा किये गये ऐसे कार्य जो उसकी कृषि भूमि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हो या ऐसा कार्य जो भूमि प्रयोजन के विपरीत हो, कि दशा मे ही बेदखली की जा सकती है।

6. वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी के चारो ओर पक्की चारदीवारी का निर्माण करवाया गया, लेकिन चारदीवारी या मेडबन्दी को किसी भी दृष्टि से अकृषि कार्य नहीं माना जा सकता है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत भू अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जिसका कुल रकबा 07-06 बीघा जिसमें 05 सहखातेदार दर्ज है इससे स्पष्ट है कि भूमि का रकबा भी अप्रत्याशित रूप से कम होकर वर्ग फीट या वर्गगज के रूप दर्ज नहीं हुआ है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त आराजी का प्लॉटिंग आदि कर अकृषि कार्य के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या फोटोग्राफस प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास करनें का पर्याप्त कारण हो कि खातेदारान् मौके पर किसी रूप में अकृषि प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है। अतः हस्तगत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होने तथा खातेदारान् द्वारा काश्तकारी शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होने के कारण खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकरी जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 07/03/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकरी जैतारण (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली